बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 277937 पटना, दिनांक 13/07/16

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(2015-16 द्वि0कि0प्र0)-102-40/2016

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में इंदिरा आवास योजना (प्रशासनिक मद सहित) में हुए व्यय से संबंधित प्रतिवेदन के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 का इंदिरा आवास योजनान्तर्गत द्वितीय किश्त केन्द्रांश की निधि विमुक्ति हेतु भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाना है ।

विदित है कि निधि की विमुक्ति हेतु प्रस्ताव के साथ वित्तीय वर्ष 2014-15 के अंकेक्षण प्रतिवेदन पर आधारित उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 में रोकड़बही के आधार पर हुए वास्तविक व्यय प्रतिवेदित किया जाना होता है । एतद् संबंधी जिला से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर विभाग स्तर से समेकित प्रस्ताव तैयार कर भेजने के लिए उपलब्ध निधि के विरूद्ध कम-से-कम 60% राशि का उपयोग आवश्यक है ।

इस प्रसंग में राज्य के 29 जिलों (अरवल, भागलपुर, जहानाबाद, किशनगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सिवान एवं वैशाली को छोड़कर) द्वारा माह मार्च में वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए द्वितीय किश्त की निधि विमुक्ति हेतु प्रेषित प्रस्ताव में प्रतिवेदित व्यय को विभाग स्तर पर समेकित करने पर कुल व्यय 60% से कम होता है । ऐसी स्थिति में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में रोकड़ बही के आधार पर जिला स्तर से योजना एवं प्रशासनिक मद में हुए वास्तविक व्यय का प्रतिवेदन आवश्यक है ताकि अद्यतन व्यय के ऑकड़ों के आधार पर उपलब्ध निधि के विरूद्ध 60% से अधिक व्यय प्रतिवेदित कर निधि की विमुक्ति करायी जा सके ।

इस संबंध में एक प्रपत्र जिलों को प्रेषित कर दिनांक 05.07.15 तक प्रतिवेदन की मांग की गई थी किन्तु बार-बार संपर्क करने के बावजूद अबतक मात्र 12 जिलों से ही प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । प्राप्त प्रतिवेदन में सन्निहित ऑकड़ों से प्रतीत होता है कि व्यय के आँकड़ों के मामले में जिलों में भ्रांतियॉ हैं क्योंकि कतिपय जिलों के व्यय के ऑकड़ें पूर्व में प्रेषित प्रस्ताव में प्रतिवेदित व्यय से काफी कम हैं जो तार्किक नहीं है । वित्तीय वर्ष के अंतर्गत व्यय अवधि बढ़ने पर वास्तविक व्यय का बढ़ना स्वाभाविक है किन्तु व्यय का ऑकड़ा कम होने की स्थिति में इसका औचित्य स्पष्ट नहीं हो पाता है ।

यहाँ स्पष्ट करना है कि कतिपय जिलों ने बी0आर0डी0एस0 को स्थानांतरित राशि की भी गणना व्यय में कर ली है जबकि यह व्यय की श्रेणी में नहीं होगा, अतएव इसकी गहन समीक्षोपरान्त योजना एवं प्रशासनिक मद में हुए व्यय का वास्तविक आँकड़ा ही प्रतिवेदन में उल्लेख किया जायेगा ।

इसी प्रकार FTO के माध्यम से जिलान्तर्गत लाभुकों को अंतरित राशि State Nodal Bank Account से व्यय हुआ है, अतएव इस मद में व्यय की राशि जिला के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा ।

अत: अनुरोध है कि उपर्युक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 की द्वितीय किश्त केन्द्रांश की निधि विमुक्ति हेतु विभाग स्तर से त्रुटिरहित समेकित प्रस्ताव के प्रेषण के लिए सभी जिला (प्रखण्ड सहित) रोकड़ बही के आधार पर वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 का वास्तविक व्यय का ऑकड़ा प्रमाणिकता के साथ निम्न प्रपत्र में विभाग को दिनांक 15.07.16 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे ।

<u>प्रपत्र</u>

(रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जिला का नाम	2015-16 (रोकड़ बही के आधार पर)			2016-17 (रोकड़ बही के आधार पर)		
		योजना पर व्यय (FTO के माध्यम से हुए व्यय को छोड़कर)	प्रशासनिक व्यय	कुल	योजना पर व्यय (FTO के माध्यम से हुए व्यय को छोड़कर)	प्रशासनिक व्यय	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8

विश्वासभाजन

12/7/2016

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के सचिव